

निर्वाचनो का संचालन नियम 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

(प्ररूप - 2ख)

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन - पत्र

उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन
नीचे भाग 1 या 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें।

भाग - 1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए लो. ज. पा. 7 केदारनाथ विधान सभा निर्वाचन
क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम शम्भू प्रसाद पिता/माता/प्रति
का नाम श्री सच्चिदा नन्द उसका डाक पता पो. 380 फलासी
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 105
में क्र० सं० 519 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम शम्भू प्रसाद है जो 7 केदारनाथ विधान सभा
निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 105 में
क्रम सं० 519 पर प्रविष्ट है।

तारीख 12/01/2012

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग - 2

हम विधान सभा के निर्वाचन के लिए 7 केदारनाथ विधान सभा निर्वाचन
क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित का नाम निर्देशन करते हैं।

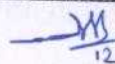
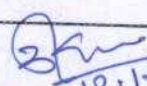
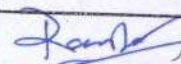
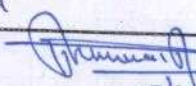
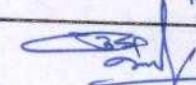
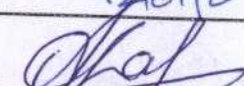
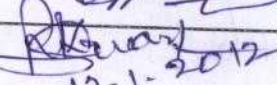
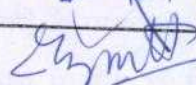
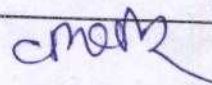
अभ्यर्थी का नाम शम्भू प्रसाद भट्ट

पिता/माता/प्रति का नाम श्री सच्चिदा नन्द

उसका डाक पता गा. 380 फलासी नि. 64 पथरा

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक -

क्र०सं०	निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामवली का भाग संख्यांक	उस भाग की क्रम संख्या	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1	105	60	दिनेश लाल		12-1-2012
2	105	70	वीरेंद्र कुमार		12-1-12
3	105	85	राम लाल		12-1-2012
4	105	122	दिगम्बर सिंह		12/1/2012
5	105	225	भरत सिंह		12-01-2012
6	105	462	अनसूया लाल		
7	105	490	राजकर्म सिंह		12-1-2012
8	105	433	दिनेश लाल		12-1-2012
9	105	518	गिरीश चन्द्र		12-01-2012
10	304	195	वलवीर		

कृपया ध्यान दें :- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक हैं -

भाग - 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(नीचे ख (i) या ख (ii), जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख)(i) मुझे इस निर्वाचन में लोक जनशक्ति पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आबंटित किया जाए।

(ii) मुझे इस निर्वाचन में लोक जनशक्ति पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में -

(i) बंगला (ii) बंगला (iii) बंगला हैं।

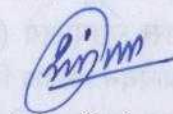
(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर प्रारूप [ख] (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

+ मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं सामान्य जाति/~~जनजाति~~ का सदस्य हूँ जो राज्य के उस राज्य में के (क्षेत्र) के सम्बन्ध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

** मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए साथ-साथ कराए जा रहे, वर्तमान साधारण निर्वाचन/~~उप निर्वाचन~~ में से दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में **** नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 12/01/2012



(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

+ लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन सम्बन्धित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत हैं।

भाग - 3 क
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है, या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया
गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के
कारावास से दंडित किया गया है।

हां/नहीं

यदि उत्तर "हां" में हैं, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :-

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट
संख्याक X
- (ii) पुलिस थाना
(थाने) X जिला (जिले) X राज्य X
- (iii) सम्बद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन उपराधों) का संक्षिप्त विवरण,
जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था
..... X
- (iv) दोषसिद्ध (दोषसिद्धियों) की तारीख/तारीखें
..... X
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को दोषसिद्ध ठहराया था
..... X
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें।
..... X
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) X
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गये
थे, हां/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां
..... X
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण
आवेदन फाइल किए गये थे X
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे
लम्बित हैं X
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया हो तो -
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) X
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) X

स्थान : 07 केदारनाथ विधानसभा

तारीख : 12/01/2012


अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नियम 4 क देखिए)

०७ केदारनाथ विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र

से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।

मैं शम्भू प्रसाद

पुत्र/पुत्री/पत्नी

श्री सन्ध्या नन्द

आयु 45

वर्ष, जो

ग्राम-धीरू

का/की निवासी हूँ। और उपरोक्त

निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं
- (ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य
- (iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है :-
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवेचना की गई
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि किसी अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं
- (ii) न्यायालय जिसने दण्डित किया है
- (iii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गये थे
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

न्यायालय परिसर रुद्रप्रयाग स्थान पर आज तारीख 10/01/2012 को सत्यापित किया।


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाए।



Surat Singh Bisht
Advocate/ Notary
Reg No. 05(07)2011
Place District Court Compound
Rudraprayag (Uttarakhand)

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

ARAKHAND

13AA 377331

Attested by



Surat Singh Bisht
Reg No. 05(07)2011
Place District Court Compound
Rudraprayag (Uttarakhand)

ਕੀ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਨ

ਤਿਨ- ਸਿਰ ਹੀ 4 ਸਿਰ

ਸਭੋ ਭਾ. ਭਾਗ - ਹਿਸਾਬ

ਨਾਮ ਵਿੱਤੀ ਕੋ ਫਿਰ 20 DEC 2017

ਸਾਹਿਬਸਾਹਿਬ (ਸਿਰ)

01/10

11/12/17

ਸੀਰੀ ਸਾਹਿਬਸਾਹਿਬ
ਸਟਾਫ਼-ਵਿਭਾਗ
ਜਿਨਾ ਕੋਰਡ ਸਰਪੰਚ

Attested by